

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

प्रेषक,

ई. सीता कान्त झा,  
सरकार के संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),  
झारखण्ड राँची।

राँची, दिनांक :-

**विषय:- धनसिंह टोली जलाशय योजना को जलपथ प्रमंडल, खूँटी से जलपथ प्रमंडल, गुमला में स्थानान्तरण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि धनसिंह टोली जलाशय योजना वर्तमान में जलपथ प्रमंडल, खूँटी के अंतर्गत है।

धनसिंह टोली जलाशय योजना के स्थल की दूरी जलपथ प्रमंडल, खूँटी से लगभग 100 कि.मी. है। योजना स्थल की दूरी अधिक होने के कारण कार्य के निरीक्षण आदि में कठिनाई होती है। जलपथ प्रमंडल, गुमला से उक्त योजना स्थल की दूरी 50 कि.मी. है।

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची का अनुरोध है कि उक्त योजना का स्थानान्तरण जलपथ प्रमंडल, खूँटी से जलपथ प्रमंडल, गुमला के अंतर्गत किया जाय।

उक्त स्थिति में धनसिंह टोली जलाशय योजना को जलपथ प्रमंडल, खूँटी से स्थानान्तरित करते हुए जलपथ प्रमंडल, गुमला के अंतर्गत किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, खूँटी उक्त योजना से संबंधित सभी अभिलेख कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, गुमला को स्थानान्तरित कर देंगे।

इस प्रस्ताव पर माननीया विभागीय मंत्री एवं विभागीय प्रधान सचिव का आदेश प्राप्त है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

ह. / -

( सीता कान्त झा )

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव (दो प्रति में) / सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / अभियंता प्रमुख-01 एवं 02 / विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंलख, गुमला / कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, खूँटी / गुमला को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

( सीता कान्त झा )

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, खूँटी / गुमला को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

( सीता कान्त झा )

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( सीता कान्त झा )

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)